

कार्यालय प्रमुख अभियंता

म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स भोपाल ।

website : www.mppwd.gov.in, email pwwdbhop@mp.nic.in

Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

क्र./तकनीकी परिपत्र/दिशा निर्देश/2014/112/3376 भोपाल,दिनांक 24/11/2014 प्रति,

- 1. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभागपरिक्षेत्र,
- 2. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभागमंडल
- 3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभागसंभाग,

विषय:- स्थायी हेलीपेड के निर्माण हेतु जारी किये गये अनुदेशों का कड़ाई से पालन किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ:-1. संचालक, विमानन, मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्र.एफ-47/ए/जन. /1514 दिनांक 24 अगस्त 1998

2.विमानन संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, राजामोज विमानतल, भोपाल भोपाल दिनांक 21/02/2011 (छाया प्रति संलग्न)

हाल ही में कुछ स्थानों पर हेलीकाप्टर के लैंडिंग में कुछ परेशानी आने की घटनायें अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आयी है। हेलीपेड निर्माण हेतु दिशा निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके है।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की प्रतियां पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इन निर्देशों का अक्षरशःपालन किया जावे। हेलीपेड के निर्माण में निम्नानुसार बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे:-

- 1 वर्तमान में आधुनिक तकनीकी वाले हेलीकाप्टरों का उपयोग किया जाता है अतः हेलीपेड निर्माण के पूर्व यह पता लगाना आवश्यक है कि इस पर कौनसा हेलीकाप्टर लैंड करेगा। तदनुसार हेलीपेड के निर्माण हेतु हेलीकाप्टर के आकार एवं वजन तथा अन्य विशिष्टताओं को ध्यान में रखते विस्तृत ड्राइंग तैयार की जाय।
- 2 हेलीपेड का निर्माण ड्राइंग के अनुसार ही किया जाय तथा इसमें कोई भी परिवर्तन न किया जावे।
- 3 हेलीपेड निर्माण हेतु भूमि का चयन अत्यंत सावधानी से किया जावे।
- 4 हेलीपेड हेतु स्थल चयन जिला प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं पुलिस विभाग के साथ ही किया जाय। यदि चयनित स्थल किसी भी बिंदु पर तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी लिखित में सूचना जिला प्रशासन को दी जाय।
- 5 हेलीपेड स्थल के longitude एवं latitude की गणना अत्यंत सावधानी से की जाकर सूचित किया जाय।
- 6 हेलीपेड के निर्माण हेतु चयनित भूमि मजबूत होनी चाहिये ताकि हेलीकाप्टर का वजन बिना धसे आसानी से वहन कर सके।
- 7 सतह पर अच्छी तरह से रोलर के द्वारा रोलिंग अनिवार्यतः की जावे।
- 8 हेलीपेड की सतह समतल एवं धूल रहित होना चाहिये।
- 9 हेलीपेड के निर्माण में स्थल चयन के समय यह ध्यान में रखा जावे कि आकस्मिकता की स्थिति में इस स्थान पर अग्निशामक यंत्र, गाड़ियां एवं अन्य उपकरण आसानी से पहुंचाये जा सकें।

10 हेलीपेड के समीप विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग हेतु नेचरल काल यूनिट के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह सही ढंग से कार्य कर रही है अथवा नहीं।

11 बेरीकेटिंग हेतु बल्लियां हेलीपेड की बाउण्ड्री से कम से कम 25 मीटर की दूरी पर रखी जाय तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि उनकी ऊंचाई 1.50 मीटर से अधिक न हो।

12 ऊंचे अवरोधों/बिजली के खम्बों इत्यादि पर लगाये जाने वाले लाल झण्डों की ऊंचाई ऊंचे अवरोधों/बिजली के खम्बों से 1 मीटर ऊंची होनी चाहिये।

13 टेक ऑफ तथा एप्रोच फनल का 30 डिग्री में कोई भी ऊंचा अवरोध नहीं होना चाहिये।

14 फनल झोन में अवरोध की अधिकतम ऊंचाई 300मीटर की लम्बाई में 50 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिये।

15 H का निर्माण अत्यंत सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इसे हवा की दिशा में ही बनाया जाय।


16 हेलीपेड के आस-पास मुरम का उपयोग नहीं होना चाहिये।

17 निर्वाचन के दौरान, आपदा एवं अन्य परिस्थितियों में अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा हेलीकाप्टर द्वारा व्यापक स्तर पर यात्रा की जाती है। ऐसी स्थिति में निम्नानुसार बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाय:-

i- हेलीपेड का निर्माण जहां तक संभव हो कार्यपालन यंत्री अपनी उपस्थिति में करवाये। यदि संभव नहीं हो तो अनिवार्यतः यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा हेलीपेड का निरीक्षण हेलीकाप्टर लैंडिंग के पूर्व अनिवार्यतः कर लिया जाय।

ii अस्थाई रूप से निर्मित किये गये हेलीपेड के निरीक्षण की सूचना कार्यपालन यंत्री द्वारा अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता को दी जाय तथा उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी अनिवार्यतः दी जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
सहपत्र:-उपरोक्तानुसार।



(इजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,

लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल।

पृ.क्र./तकनीकी परिपत्र/दिशा निर्देश/2014/40/162/भोपाल,दिनांक 24/11/2014
3377

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3- संचालक विमानन, विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश, राजाभोज विमानतल भोपाल।
- 4- समस्त जिलाधीश, मध्य प्रदेश।
- 5- समस्त पुलीस अधीक्षक मध्य प्रदेश।


(इजी. अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, म.प्र.भोपाल।

विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश
राजाभोज विमानतल भोपाल

क्रमांक: F-42/1/186

दिनांक: अक्टूबर 2010

21.2.2011

प्रति,

जिलाधीश

जिला.....

मध्यप्रदेश


विषय:- आंध्रप्रदेश शासन के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरांत महानिर्देशक, नागर विमानन, भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रकाश में कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं अस्थाई हेलीपेड के निर्माण से संबंधित जानकारी बाबद ।

आंध्रप्रदेश शासन के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरांत महानिर्देशक, नागर विमानन, भारत शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों के हेलीकॉप्टर से आगमन/प्रस्थान की सूचना प्राप्त होते ही निर्धारित संलग्न अनुलग्नकों में चाही गई जानकारी न्यूनतम जिला राजस्व अधिकारी के स्तर के अधिकारी द्वारा एकत्रित की जाकर विमानन संचालनालय को तत्काल सूचित की जावे (संलग्न परिशिष्ट I एवं II)

साथ ही अस्थाई हेलीपेड के निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश (परिशिष्ट III कुल पृष्ठ-8) के रूप में संलग्न है जो इस प्रकार के निर्माण हेतु सुलभ संदर्भ हेतु सुरक्षित रखे जा सकते हैं ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(अरूण कोचर) 5/10

संचालक विमानन

पृष्ठांकन क्रमांक:-

भोपाल,दिनांक: अक्टूबर 2010

प्रतिलिपि:-

1. महानिर्देशक, नागर विमानन, भारत शासन, सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने नईदिल्ली-110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विमानन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. श्री.....सीनियर पायलट हेलीकॉप्टर विमानन संचालनालय की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।


(अरूण कोचर)

संचालक विमानन


अस्थाई हेलीपेड के निर्माण हेतु अनुदेश

1. हेलीपेड के चारों ओर सुरक्षा घेरा अधिक से अधिक दूरी पर बनना चाहिए एवं बनाने में करीब एक मीटर ऊंची, हल्की सामग्री (जैसे बांस एवं पतली रस्सी) का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं सुरक्षा कर्मचारियों को तैनाती घेरे से बाहर होना चाहिए ताकि टेक-आफ एवं लैंडिंग के दौरान हेलीकाप्टर को बाधा न हो। मजबूत निर्माण सामग्री जैसे बल्ली, लोहे के खंबे एवं तार आदि का प्रयोग न किया जाये।
2. हेलीपेड की सतह पर मुरम (लाल मिट्टी) के प्रयोग से टेक ऑफ एवं लैंडिंग के समय दृश्यता शून्य हो जाती है। जिससे हेलीकाप्टर पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अतः हेलीपेड पर एवं आसपास की जगह पर मुरम का प्रयोग नहीं किया जाये।
3. हेलीपेड की सतह पर बिखरी हुई बारीक बजरी उड़कर पंखों एवं इंजिन को नुकसान पहुँचा सकती है। अतः बिखरी हुई (लूज) बजरी से हेलीपेड की सतह का निर्माण नहीं किया जाये।
4. धूल वाले (डर्ट) हेलीपेड की सतह पर गोबर का लेप किया जाना चाहिए ताकि टेकआफ एवं लैंडिंग के दौरान दृश्यता कम नहीं हो। साथ ही हेलीपेड के आसपास पानी के छिड़काव से धूल का गुबार कम उठता है।
5. स्मोक कैंडल को ऐसे स्थान पर जलाना चाहिए जहाँ से धुँआ हेलीपेड पर न जाए। इसके लिये कैंडल जलाते समय वायु प्रवाह की दिशा को दोबारा जाँचना चाहिए।

SKETCH OF LANDING/ TAKE-OFF AREA REQUIRED



Touch down and Lift off (TLOF)-area sufficiently strong to support the weight of helicopter



*Whichever is more shall be taken as 'B' for the purpose of TLOF dimension.

**DIMENSIONS OF SOME COMMON INDIAN
REGISTERED HELICOPTERS.**

TYPE	Over all		Under carriage 'B'		
	Length 'A' (m)	Height (m)	Type	Length (m)	Width (m)
AS 355	12.99	3.15	skid	2.91	2.10
Bell 206 B3	11.91	3.16	Skid	2.52	2.07
Bell 206 L3 & L4	12.95	3.13	Skid	3.01	2.34
Bell 212	17.47	3.84	Skid	3.68	2.68
Bell 230	15.30	3.65	Wheel/skid	3.71	2.37
Bell 407	12.74	3.32	Skid	3.01	2.28
Bell 412 EP	17.37	4.57	Skid	2.40	2.53
Bell 430	15.30	4.02	Wheel/skid	3.81	2.53
Bell 47	13.41	3.04	Skid	3.01	2.28
Cheetah SA315	12.94	3.35	Skid	3.29	2.37
Allouette III SA316B	10.17	2.96	Wheel	3.50	2.59
Dauphin AS 365N3	13.73	4.06	Wheel	3.64	1.89
EC135 T1	12.19	3.50	Skid	3.2	2.01
Ecureuil AS350	12.93	3.34	Skid	1.43	2.28
Eurocopter EC 130	12.64	3.60	Skid	3.2	2.40
Sikorsky S76C	16	4.41	Wheel	5	2.44

* Presently the M.P. Govt. has Bell 430 and Bell 407 helicopters. It is advisable to check the type of helicopter being used on the day prior to construction of Helipad.

-48-

GUIDELINES & PARAMETERS FOR THE CONSTRUCTION, EXTENSION / REPAIR OF AIRSTRIPS IN MADHYA PRADESH.

The following parameters are hereby established for the extension / repair to airstrips in Madhya Pradesh, to be read in conjunction with appendix (I) & (II).

1. **RUNWAY** : A minimum length of 5,500 ft by 100 ft width available for take-off run. The length should be extendible by 1,000 ft to 1,500 ft for the operation of heavier turbo-prop and pure jet aero plane in future. This runway dimensions should be adequate for up to Boeing 737 as well as most executive jet type of aircraft with adequate fuel reserves from Bangluru, Kolkata, Chennai, Delhi, Mumbai etc.
2. **OVERRUN AREA** : A minimum of 500 ft overrun available on both ends of the runway. These areas are to be kept level with the runway free of any undulations, trees, bushes, wires and any other obstructions etc.
3. **LONGITUDINAL GRADIENT**: Level surface with longitudinal gradient not to exceed 1%.
4. **TURNING AREA** : Turning area for the aircraft on the left hand side at either end of the runway. 150 ft diameter.
5. **APRON** : This area is required to clear the runway for disembarking of the passengers and parking of the aircraft. A hard standing of 200 ft by 100 ft approximately 200 ft away from the shoulder of the runway. The terminal building shall be constructed adjoining the Apron.
6. **TAXIWAY** : The connection path of 75 ft width from the runway to the apron.
7. **SHOULDERS** : A 10 ft wide area running parallel to the runway length on either sides of the runway. These areas are to be kept level with the runway free of any undulations, trees, bushes, wires or any other obstruction etc. A top coat of 6 inches of murum be spread on the shoulders periodically to prevent erosion specially during monsoon season.
8. Clear approaches on both the ends of the proposed runway-minimum 1.2% gradient.
9. No unusually high obstructions within a radius of five nautical miles (approx. 10 kms) of the proposed site.

Continued-2

10. Easy accessibility from the nearest habitat.
11. Construction viability technical from the P.W.D point of view.
12. Clear of Defence installations and any other notified prohibited / restricted areas.
13. Approaches to the proposed airstrip not over flying any Wildlife Sanctuary, so as not to agitate the wildlife to prevent their stampeding.
14. Preferably a boundary wall or else barbed wire fence around the airstrip to prevent encroachments and cattle hazard during flying operations.

Deviations, if any from the above mentioned details should be approved by this office in specific cases.


Attending to other details with regard to construction, marking, provision of safety services, communication and navigation facilities, layout of the passengers handling area, intimation to the related organizations in the Central Government would be done by this officer subsequent to the finalisation of the site.

Dated: 13th November 2009.

(ARUN KOCHER, IAS)
DIRECTOR AVIATION.

Contd.....3

OBSTACLES CLEARANCE AROUND THE AIR STRIP.




NOTE:

No obstacle/ construction/ high tension lines should exist above the heights detailed above up to 20,000 ft (6.0 kms) from either end of the airstrip.

Contd. 4

50-

PROPOSED LAYOUT FOR THE CONSTRUCTION OF AIRSTRIPS
IN EACH DISTRICT OF THE STATE.



The total area required for ABCD = 2575 x 215 meters
Or = 8500 x 700 feet
= 135 acre

The area outlined vide the rectangle ABCD is to be acquired by the Govt.

5/1